यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर

राजस्व वाद सख्या–01/2016

श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्वर्गीय श्री देवीसिंह आयु–66 साल जाति राजपुत निवासी लोडियाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर। ....अपीलार्थी

बनाम

1. श्री हाथी पुत्र श्री दुदा जाति गुर्जर निवासी–ग्राम बहादुरपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. हल्का पटवारी पटवार हल्का लोडियाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
3. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील परिसर, बिजयनगर जिला अजमेर।
4. श्रीमान् सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत लोडियाना तहसील बिजयनगर

......रेस्पोडेन्स/अप्रार्थीगण

नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 11.2.2017

अपीलार्थिया ने प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम लोडियाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 593, 596, व 591 की भूमियों में अपिलार्थिया के पति देवीसिंह सहखातेदार है उनके सहखातेदार श्री रधुनाथसिंह ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2001 से प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेचान कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी खरीदशुदा आराजी को अपने नाम लगवाने हेतु प्रत्यार्थी संख्या 2 से निवेदन किया तो उसनें रधुवीरसिंह द्वारा बेचे गये हिस्से का नामान्तरण अपिलार्थिया के पति के हिस्से सहित प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज कर दिया जिसे प्रत्यर्थी संख्या 4 ने सही मानते हुए स्वीकार कर दिया जो सर्वथा अवैध है। जिसकी जानकारी अपिलार्थिया को उसके पति के निधन पर बैंक कर्मियों के मौके पर आने पर हुए तब अपिलाधीन नामान्तरण की प्रतियां प्राप्त करने के कारण देरी हुई है अतः देरी क्षमा योग्य है क्षमा की जावे और अपील अभिलेख पर ली जावे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षान सुनी गई। प्रार्थिया का निवेदन उसके अनपढ होने से ही सही जाहिर आता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील देरी के लिए क्षमा करते हुए अपील अभिलेख पर ली जाती है।

अपिलार्थिया ने इस प्रार्थना पत्र के कथन दौहराते हुए अपनी अपील में निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रश्नगत भूमियों का विक्रेता रधुवीर सिंह के हिस्से की अपेक्षा अपिलार्थिया के पति स्व0 देवीसिंह के हिस्से सहित नामान्तरण संख्या 771 दिनांक 20.04.2001 दर्ज कर दिया है जिसे प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा स्वीकार कर दिया गया है उसे निरस्त फर्माया जावे तथा रधुवीर सिंह द्वारा बेचे गये हिस्से की भूमि का नामान्तरण प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में तथा स्व0 देवी सिंह के हिस्से का नामान्तरण अपिलार्थिया के पक्ष में स्वीकृत कराने के आदेश प्रदान करावें।

अपील पर बहस उभयपक्षान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लोडियाना की जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 के खाता संख्या 335 में आराजी ख0 न0 591, 593, 596 किता 3 रक्बा 14.06.00 बीघा भूमि में रधुवीर सिंह वल्द मानसिंह व देवीसिंह वल्द कल्याण सिंह बहिस्से बराबर से 1/2, 1/2 हिस्से से खातेदार दर्ज है इसी के खाना कैफियत में नामान्तरण संख्या 771 दिनांक 05.05.2001 का अमल किया गया है जिसके अनुसार सम्पूर्ण आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 हाथी के नाम लगा दी गई है। बेचाननामा दिनांक 02.02.2001 जो कि सहखातेदार रधुवीर सिंह द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 हाथी के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

निष्पादित किया गया है जिसके अनुसार ख0 न0 591, 593, 596, किता 3 रक्बा 14.06.00 का अपना हिस्सा बेचान किया जाना अंकित है। नामान्तरण संख्या 771 दिनांक 05.05.2001 के कॉलम 7 में जमाबंदी के सर्वथा विपरीत अकेले रघुवीर सिंह को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार अंकित कर सम्पूर्ण आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम कॉमल 9 में लगा दिया गया है जो सर्वथा विधि विरूद्व एवं गैरकानूनी है जो निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपिलार्थिया आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम लोडियाना का नामान्तरण संख्या 771 दिनांक 05.05.2001 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को प्रकरण रिमांड कर निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम लोडियाना की जमाबंदी संख्या 2054 से 2057 के खाता संख्या 335 को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत आराजी के 1/2 हिस्से में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 1/2 हिस्से अपिलार्थिया के नाम नामान्तरण स्वीकार करावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.06 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: